भारत सरकार

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3834

दिनांक 9 अगस्त, 2016 के लिए प्रश्न

विषय: पशु पहचान और निगरानी प्रणाली

3834. श्री फिरोज़ वरुण गांधीः

क्या कृषि और कृषक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पशु पहचान और निगरानी प्रणाली (एआई एंड टीएस) के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा सुझाई गई/कार्यान्वित की गई रणनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) एफएसएसएआई द्वारा इसके अधिकार क्षेत्र मामले के कारण अनिच्छा व्यक्त करने के कारण किस प्रकार से सरकार इस रणनीति को कार्यान्वित करने की योजना बना रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पहचान के लिए एआई एंड टीएस सूची में किन पशुओं को डालने का निर्णय लिया गया है उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार किस प्रकार में एआई एंड टीएस प्रणाली में पशु रोगों के फैलने की समस्या से निपटने की योजना बना रही है?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सुदर्शन भगत)

(क) पशु पहचान और निगरानी प्रणाली (एआई एंड टीएस) के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा सुझाई गई कार्यान्वयन की गई रणनीति का ब्यौरा पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग (डीएडीएफ), नई दिल्ली के कार्य नियमों के आवंटन के अनुसार हैं।

(ख) डीएडीएफ ने एआई एंड टीएस तैयार किया है और वित्त मंत्रालय के साथ ईएफसी बैठक 5 अगस्त, 2016 को हुई थी और ईएफसी के अनुमोदन के पश्चात्, प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जायेगा।

(ग) पहले चरण में पहचान; और कृत्रिम गर्भाधान और बछड़ों के जन्म की मॉनीटरिंग के लिए एआई एंड टीएस सूची के तहत गोपशु और भैंसों को शामिल किया जायेगा।

(घ) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच एंड डीसी) योजना में पशु स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की परिकल्पना की गई जिसके लिए डीएडीएफ वित्तीय सहायता को एफएमडीसीपी और पीपीआरसीपी के तहत एक क्रियाकलाप के रूप में इन पशुओं के टीकाकरण के रिकार्ड के रखरखाव के लिए प्रदान कर रहा है जो एआई एंड टीएस के तहत प्रस्तावित प्रजनन क्रियाकलापों के साथ ही पशुधन रोगों के प्रकोप की समस्या को हल करेगी।

....